[2008] 6 एस. सी. आर. 231

मैसर्स गोदावरी वित्त कं.

बनाम

देगला सत्य नारायणम्मा एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2725/2008)

10 अप्रैल 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुराकर, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धाराऐं 2(30) और 168-मोटर दुर्घटना-मुआवजा-अपराध कारित करने वाला वाहन अवक्रय करार के अधीन-वाहन के वित्तपोषक को स्वामी मानते हुए दायित्व-न्यायालय उन्हें उत्तरदायी ठहराती हैं-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व वित्तपोषक पर नहीं है-ऐसे मामलों में आम तौर पर फाइनेंसर को स्वामी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-वाहन के कब्जे वाला व्यक्ति स्वामी होगा-इस तरह-वह व्यक्ति जो वाहनों के उपयोग में शामिल है या व्यक्ति जो परोक्ष रूप से उत्तरदायी है, के दायित्व का पता लगाना आवश्यक है।

शब्द और वाक्यांश-''स्वामी -का मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संदर्भ में अर्थ।

मोटर दुर्घटना में शामिल आपत्तिजनक वाहन अपीलार्थी कम्पनी के साथ अवक्रय करार की अधीन था। इसलिए उसके नाम का उल्लेख पंजीकरण पुस्तिका में किया गया था। दावेदार-प्रत्यर्थी सं 1 और 2 ने करार के तहत मुआवजे के लिए अपनी दावा याचिका में चालक, स्वामी और बीमाकर्ता के साथ अपीलार्थी कंपनी को भी शामिल किया। अपीलार्थी ने मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार किया। अधिकरण ने उसे उत्तरदायी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश की पुष्टि की। अतः यह वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 उसमें उल्लेखित विभिन्न शब्दों की व्याख्या का प्रावधान करती है। यह वाक्यांश "जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो" के साथ शुरू होता है।

"स्वामी की परिभाषा एक व्यापक है। व्याख्या खंड स्वयं कहता है कि वह वाहन जो अवक्रय करार के अधीन है, वाहन के कब्जे वाला व्यक्ति उस करार के तहत स्वामी होगा। इस प्रकार, पंजीकरण प्रमाणपत्र में वित्तपोषक का नाम यह निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं होगा कि वाहन का स्वामी कौन था। आमतौर पर वह व्यक्ति, जिसके नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र है वह स्वामी माना जाना चाहिए परन्तु इस तरह की उपधारणा तभी की जा सकती है जबकि अभिलेख पर लाई गई किसी अन्य

सामग्री का अभाव हो या जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। [पैरा 12]

1.2 एक मोटर वाहन के मामले में जो एक अवक्रय करार के अधीन है वित्त पोषक को आमतौर पर स्वामी नहीं माना जा सकता है। वह व्यक्ति, जिसके पास वाहन का कब्जा है, स्वामी होने के नाते मोटर दुर्घटना में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा न कि वित्तपोषक। [पैरा 13]

1.3 अपीलार्थी दावेदारों को कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था। मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के संबंध मे व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी सम्पति को होने वाली क्षति या दोनों से संबंधित मुआवजे के दावें पर न्याय निर्णय के लिए अधिनियम की धारा 165 के तहत गठित अधिकरण के समक्ष मुआवजे के भुगतान के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है। मुआवजे के दावे पर विचार करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग अनिवार्य शर्त है। आमतौर पर यदि वाहन का चालक उसका उपयोग करता है तो उसका कब्जा या नियंत्रण उसके पास रहता है। यद्यपि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी का वाहन के उपयोग से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है, वास्तव में उसे चालक के नियोक्ता के रूप में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। इसलिए अधिनिर्णय पारित करने के लिए वाहन के उपयोग करने वाले

व्यक्ति या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के दायित्व का पता लगाना आवश्यक है।

वाहन स्वामी के उत्तरदायी होने की स्थिति में ऐसे दावों के लिए बीमा कंपनी एक आवश्यक पक्षकार हो जाती है तथा उसे स्वामी को प्रतिपूर्ति करनी होगी क्योंकि जहां तक तीसरे पक्ष का संबंध है, वाहन अनिवार्य रूप से बीमाकृत है, जैसा कि धारा 147 में वर्णित है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी वाहन का कब्जा या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (पैरा 16 और 18)

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम कैलाश नाथ कोठारी एवं अन्य 1997(7) एस. सी. सी. 481; नेशनल इन्श्योरेन्स कं. लि. बनाम दीपा देवी एवं अन्य 2007(14) स्केल 168- पर निर्भर किया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं 2725/2008।

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 8.8.2008 सी. एम. ए. सं. 844/1999 से।

बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर और हेमल के. शेठ (मैसर्स लॉयर्स नीट एण्ड क. के लिए) अपीलार्थी के लिए।

एम. के. दुआ और किशोर रावत प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (30) के अर्थ के भीतर एक वित्त पोषक मोटर वाहन का स्वामी होगा, (संक्षेप में अधिनियम) इसमें शामिल मुख्य प्रश्न है।

3. चौधरी प्रवीण कुमार, चतुर्थ प्रत्यर्थी एक वाहन के स्वामी थे, जो वाहन "महेंद्रा निसान" का एक छोटा ट्रक है जो उसके द्वारा खरीदा गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा 50,000/- रूपये की राशि के लिए वित्तपोषित किया गया है। उक्त ऋण का भुगतान उसने 1995 के अंत तक कर दिया था।

4. निर्विवाद रूप से उक्त वाहन पूरे समय चतुर्थ प्रत्यर्थी के कब्जे व नियंत्रण में रहा था।

वह वाहन 29 मई 1995 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस दुर्घटना में देगला बालकृष्णन की मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने उक्त वाहन के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए मुआवजे का दावा करते हुए याचिका पेश की।

5. 18 जून, 1998 को या उसके आसपास अपीलार्थी को कार्यवाही मे इस आधार पर पक्षकार बनाया गया कि वह उक्त वाहन का वित्त पोषक था।

6. निर्विवाद रूप से एक वित्तपोषक के रूप में अपीलार्थी का नाम वाहन की पंजीकरण पुस्तिका में शामिल किया गया था। हालांकि, पंजीकरण पुस्तक के उद्धरण से पता चलता है कि वाहन केवल चतुर्थ प्रत्यर्थी के नाम पर दिनांक 3 जून 1992 से पंजीकृत था। यह आगे पता

चला कि उक्त वाहन अपीलार्थी के पास दिनांक 06 फरवरी 1995 से एक अवक्रय करार के अधीन था, जिसे 10 नवंबर 1995 को रद्द कर दिया गया था।

7. अपीलार्थी ने यहाँ एक लिखित जवाब यह कथन करते हुए पेश किया कि दुर्घटना की तारीख वाहन का स्वामित्व पूरी तरह से चतुर्थ प्रत्यर्थी के पास था न कि अपीलार्थी के पास। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने 28 अक्टूबर 1998 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में रु. 2,08,000/- की राशि का अधिनिर्णय पारित किया। अपीलार्थी की आपत्ति कि वह वाहन के स्वामी, चालक और बीमा कंपनी के साथ मुआवजे की किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था अधिकरण ने यह कहते हुए खारिज कर दिया:-

> "ऊपरवर्णित निर्णयों के आलोक में, जो कानूनी स्थिति उभरती है वह यह है कि वह व्यक्ति जो वास्तविक रूप से वाहन के कब्जे और नियंत्रण में था, उसे अधिनियम के तहत स्वामी की परिभाषा में लाया जा सकता है। अधिनियम के तहत नौकर के कृत्यों के लिए उसे अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए भार उस पक्ष पर है, जो इस पर जोर देता है, और उसकी विफलता पर उसके विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वित्तपोषक को भी पंजीकृत स्वामी के साथ

दायित्व में माना जा सकता है। हमारे प्रकरण में, आर-4 वाहन उसके स्वामी आर-2 के नियंत्रण में था, इस तर्क के सिवाय उसके व आर-2 के मध्य संव्यवहार की प्रकृति के संबंध में तथा वाहन के वास्तविक नियंत्रण वाले व्यक्ति के संबंध में कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहा है। केवल यह तथ्य कि आर. डब्ल्यू. 1, मृतक की विधवा ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वाहन आर-2 का है और यह उसकी अभिरक्षा में है। मेरे विचार में आर-4 को दायित्व से बचने के लिए इस तथ्य को साबित करने के भार से मुक्त नहीं किया जा सकता हैं। पी. डब्ल्यू. 1 एक विधवा और एक तीसरे पक्ष को वाहन पर नियंत्रण और पक्षकारों के बीच वास्तविक संविदा के ज्ञान के साथ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार यह भलीभांति स्पष्ट है कि आर-2 और आर-4 ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी कि वाहन का वास्तविक नियंत्रण किसके पास है और इस पर आर-4 के क्या अधिकार है।"

8. आक्षेपित निर्णय दिनांक 08 अगस्त 2006 के कारण अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध कि गई एक अपील को खारीज किया गया।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित सुश्री बीना माधवन ने तर्क दिया:-

(1) अधिनियम की धारा 168 के संदर्भ में किसी एक वित्तपोषक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योकिं अधिनियम की धारा 2(30) में निहित "स्वामी का अर्थ केवल एक "पंजीकृत स्वामी होगा।

(2) यह दावेदारों का मामला नहीं था कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी के पास वाहन था या उस पर उसका नियंत्रण था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है।

(3) विद्वान अधिकरण और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि एक पंजीकृत स्वामी के रूप में अपीलार्थी मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी था, पूरी तरह अस्थिर है।

10. निर्विवाद रूप से 10 नवंबर 1995 को अवक्रय करार रद्द कर दिया गया था और इसके बारे में एक सूचना उप परिवहन आयुक्त काकीनाडा को भेजी गई थी।

11. अपीलार्थी स्वीकृत रूप से वित्त पोषक था। वाहन अवक्रय करार के अधीन था तथा अपीलार्थी का नाम पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित था।

12. अधिनियम की धारा 2 उसमें उल्लेखित विभिन्न शब्दों की व्याख्या का प्रावधान करती है।

यह वाक्यांश "जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो के साथ शुरू होता है। "स्वामी की परिभाषा एक व्यापक है। व्याख्या खंड स्वयं कहता है कि वह वाहन जो अवक्रय करार के अधीन है, वाहन के कब्जे

वाला व्यक्ति उस करार के तहत स्वामी होगा। इस प्रकार, पंजीकरण प्रमाणपत्र में वित्तपोषक का नाम यह निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं होगा कि वाहन का स्वामी कौन था। आमतौर पर वह व्यक्ति, जिसके नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र है वह स्वामी माना जाना चाहिए परन्तु इस तरह की उपधारणा तभी की जा सकती है जबकि अभिलेख पर लाई गई किसी अन्य सामग्री का अभाव हो या जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

13. एक मोटर वाहन के मामले में जो अवक्रय करार के अधीन है। वित्त पोषक को आमतौर पर स्वामी नहीं माना जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास वाहन का कब्जा है वह व्यक्ति मोटर दुर्घटना के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए स्वामी होने के नाते उत्तरदायी होगा, न कि वित्त पोषक।

14. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का गठन अधिनियम के अध्याय संख्या 12 की धारा 165 की शर्तो के तहत किया गया है। धारा 166 उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया जाना चाहिए और कौन इसे दायर कर सकता है। धारा 168 दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से संबंधित है। इसकी उप धारा (1) निम्नानुसार है:-

> "168. दावा अधिकरण का अधिनिर्णय - (1) धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और

पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी है), यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा तथा, (धारा 163) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होगें जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा, और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त था, स्वामी या ड्राईवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी।

परन्तु जहां ऐसे आवेदन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा किया गया है, वहां ऐसा दावा और ऐसी मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया है) अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।"

15. उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अधिकरण को बीमाकर्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक है और बीमाकर्ता सहित, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दावों की जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति का

निर्धारण करना होगा जो उसके लिए उत्तरदायी होगा। अधिकरण एक अधिनिर्णय दे सकता है और ऐसा करते समय वह उस राशि को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका भुगतान बीमाधारक या दुर्घटना में शामिल वाहन के स्वामी या चालक या उनमें से सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

16. मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के संबंध में व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी सम्पति को होने वाली क्षति या दोनों से संबंधित मुआवजे के दावें पर न्याय निर्णय के लिए अधिनियम की धारा 165 के तहत गठित अधिकरण के समक्ष मुआवजे के भुगतान के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है। मुआवजे के दावे पर विचार करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग अनिवार्य शर्त है। आमतौर पर यदि वाहन का चालक उसका उपयोग करता है तो उसका कब्जा या नियंत्रण उसके पास रहता है। यद्यपि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी का वाहन के उपयोग से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है, वास्तव में उसे चालक के नियोक्ता के रूप में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। इसलिए अधिनिर्णय पारित करने के लिए वाहन के उपयोग करने वाले व्यक्ति या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के दायित्व का पता लगाना आवश्यक है।

वाहन स्वामी के उत्तरदायी होने की स्थिति में ऐसे दावों के लिए एक बीमा कंपनी एक आवश्यक पक्षकार हो जाती है तथा उसे स्वामी को

प्रतिपूर्ति करनी होगी क्योंकि जहां तक तीसरे पक्ष का संबंध है, वाहन अनिवार्य रूप से बीमाकृत है, जैसा कि धारा 147 में वर्णित है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी वाहन का कब्जा या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

17. उक्त प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम कैलाश नाथ कोठारी और अन्य (1997) 7 एससीसी 481 में विचारार्थ आया। जहाँ वाहन के स्वामी ने बस को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किराए पर दी। वह बस दुर्घटनाग्रस्त हुयी। इस तथ्य के बावजूद कि बस का चालक वाहन के पंजीकृत स्वामी का कर्मचारी था, यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> "बस का चालक, भले ही वह स्वामी का कर्मचारी हो, प्रासंगिक समय पर बस के संचालन के लिए आरएसआरटीसी के कंडक्टर के आदेश और समादेश के तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जहां तक दुर्घटनाग्रस्त बस के यात्रियों का संबंध है, उनके अनुबंध की वैधता केवल आरएसआरटीसी के साथ थी, जिसे उन्होंने उस बस में यात्रा के लिए किराये का भुगतान किया था और इसलिए बस में यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा आरएसआरटीसी की जिम्मेदारी थी। श्री संजय कुमार, बस के स्वामी के साथ उनके अनुबंध की वैधता किसी भी तरह

से नहीं थी। यदि यह केवल चालक की सेवाओं के हस्तान्तरण का मामला होता, न कि चालक का नियंत्रण स्वामी से आरएसआरटीसी को हस्तान्तरित करने का, तो मामला कुछ अलग हो सकता था परन्तु इस मामले के तथ्यों पर और करार (ऊपर) की शर्त संख्या 4 से 7 के मध्येनजर आरएसआरटीसी के अनुबंध के तहत बस चलाते समय चालक द्वारा कारित अपकृत्य के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। विधि का सामान्य प्रस्ताव और उससे उत्पन्न होने वाली यह उपधारणा है कि एक नियोक्ता, यानि वह व्यक्ति जिसके पास कर्मचारी को काम पर रखने और नौकरी से निकालने का अधिकार है, वह आम तौर उसके कार्यकाल के दौरान और उसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये अपकृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, एक खण्डन योग्य उपधारणा है। यदि मूल नियोक्ता यह साबित करने में सक्षम है कि जब नौकर को उधार दिया गया था तो उस पर प्रभावी नियंत्रण भी किराये पर लेने वाले को स्थानान्तरित कर दिया गया था, मूल स्वामी अपने दायित्व से बच सकता है तथा अस्थायी नियोक्ता या किराये पर लेने वाला, जैसा भी मामला हो, इस तथ्य के बावजूद की चालक मूल स्वामी के वेतन पर बना रहेगा, संबंधित कर्मचारी के द्वारा

अपने रोजगार के दौरान किरायेदार के आदेश व नियंत्रण के तहत किये गये कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जायेगा। जैसा कि ऊपर देखा गया कि सामान्य सिद्धांत पर आधारित प्रस्ताव का न केवल पक्षकारों द्वारा दिये गये सबूतों का बल्कि शर्त संख्या 6 और 7 (ऊपर) के आधार पर भी पर्याप्त रूप से खण्डन किया गया है, जो दर्शित करता है कि स्वामी ने न केवल चालक की सेवाओं को आरएसआरटीसी को हस्तातंरित किया बल्कि वास्तविक नियंत्रण और चालक को कंडक्टर और आरएसआरटीसी के अन्य अधिकारियों के निर्देशों, नियंत्रण और आदेश के तहत कार्य करना था।"

18. उक्त प्रश्न हाल ही में इस न्यायालय के समक्ष नेशनल इश्योरेन्स कं. लि. बनाम दीपा देवी और अन्य 2007(14) स्केल 168 में फिर से विचारार्थ आया। उस मामले में यह न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहाँ प्रश्नगत वाहन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुरोध किया गाय कि वाहन का स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। यह मत अभिव्यक्त किया गया:-

"10. संसद में न तो 1939 के अधिनियम, न ही 1988 के अधिनियम के तहत इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखा। निसंदेह प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 पृष्ठ 4561

इस तथ्य के बावजूद वाहन के पंजीकृत स्वामी बने रहे कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसकी मांग की गई थी। एक वाहन की मांग एक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा एक कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। वाहन का स्वामी उपायुक्त द्वारा वाहन की आदेश की मांग का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता है। जब तक वाहन मांग के अधीन रहता है, वाहन का स्वामी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। चालक अभी भी वाहन के स्वामी का कर्मचारी हो सकता है परन्तु उसे राज्य के उस अधिकारी के निर्देश के अनुसार वाहन चलाना होगा, जिसे उसका प्रभारी बनाया गया है। कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी आशय और अभिप्राय के लिये वाहन का पंजीकृत स्वामी उस पर पूरा नियंत्रण खो देता है। उसे इस बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी निश्चित समय पर वाहन चलाएँ या न चलाएँ। वह चालक को खराब सड़क पर वाहन न चलाने के लिए नहीं कह सकता है। वह या ड्राइवर संभवतः यह नहीं कह सकते थे कि रात में वाहन नहीं चलाया जाएगा। माँग का उद्देश्य वाहन का उपयोग करना है। जिस अवधि तक वाहन राज्य और/या उसके अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है, उस अवधि के लिए स्वामी केवल

मुआवजे के भुगतान का हकदार हैं। इसलिए अधिनियम के अनुसार वह उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है। ऐसी प्रकृति की स्थिति में इस न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि संसद ने 1988 का अधिनियम को बनाते करते समय ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। यदि किसी दी गई स्थिति में, 1988 के अधिनियम में विहित वैधानिक परिभाषाओं को अक्षरशः प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है तो उसे सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिये।"

जिन कानूनी सिद्धांतों पर पहले ध्यान दिया गया है, वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दावेदार को अपीलार्थी कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था ।

19. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की गई। कोई खर्चा नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्साफ खान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।